भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3456
जिसका उत्तर सोमवार 20 दिसंबर, 2021
29 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भूमि का मौद्रीकरण

3456. श्री डॉ. उमेश जी.जाधव :
श्री तेजस्वी सूर्या :
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले :
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र :
श्री प्रताप सिम्हा :
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रूग्ण इकाइयों सहित बड़ी संख्या में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त भूमि पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कर्नाटक का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या उनके पुनरूद्धार हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अप्रयुक्त भूमि के मौद्रीकरण के संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपर्युक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ड.) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र भूमि विकास प्राधिकरण स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्राधिकरण की कब तक स्थापना होने की सम्भावना है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. भागवत किशनराव कराड)

(क एवं ख): रणनीतिक विनिवेश के दौरान, सीपीएसईस आमतौर पर उन गैर-महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों (मुख्यतः भूमि और भवन) की पहचान करते हैं जो रणनीतिक विनिवेश सौदे का भाग नहीं होते हैं और जिनका अविलय सीपीएसई की समान शेयरधारिता वाली नई कंपनी में किया जाता है। इस अविलियत कंपनी द्वारा मुद्रीकरण के लिए इन गैर-महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों को चिन्हित किया जाता है। बंदीकरण के अधीन सीपीएसईस की परिसंपत्तियों को भी मुद्रीकरण

हेतु चिन्हित किया जाता है। रणनीतिक विनिवेश के अधीन बीईएमएल लि. ने कर्नाटक में (बैंगलूर में लगभग 123.39 एकड़ और मैसूर में लगभग 401.23 एकड़) सरप्लस भूमि की पहचान की है जिसका अविलय किया जाएगा और बाद में मुद्रीकरण किया जाएगा। एचएमटी लि. जो बंदीकरण के अधीन है ने मुद्रीकरण के लिए बैंगलूर में लगभग 89.506 एकड़ भूमि चिन्हित की है।

(ग एवं घ): सरकार द्वारा गैर-महत्वपूर्ण परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए एक ढांचे को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गैर-महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां जो कि अधिशेष, अप्रयुक्त या कम उपयोग में हैं (बड़े पैमाने पर भूमि, इमारतें और अन्य अचल संपत्तियां), जिनके ईष्टतम उपयोग के लिए वर्तमान में और निकट भविष्य में कोई स्पष्ट योजना नहीं है, के मूल्य को निर्मुक्त करना है। ढांचे में एक बहु-स्तरीय संस्थागत तंत्र की परिकल्पना की गई है जिसमें अंतर-मंत्रालय दल, परिसंपत्ति मुद्रीकरण संबंधी सचिवों का प्रमुख दल और निर्णय लेने के लिए वैकल्पिक तंत्र शामिल है। मुद्रीकरण सौदों के लिए आरम्भ से अंत तक सहयोग प्राप्त करने हेतु अंतरराष्ट्रीय संपत्ति परामर्शदाता नियुक्त किये गये हैं।

(ड. एवं च): वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में, गैर- महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों (अधिशेष भूमि और संपत्ति) के मुद्रीकरण के लिए एक विशेष प्रयोजन कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

****